



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 22

27 ज्येष्ठ 1942 (श०)

पटना, बुधवार, —

17 जून 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-17	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	18-19
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	पूरक	---
		पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

29 मई 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (म०) जहा०-वि०स०-04/2016-462710--श्री बबलु कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद एवं बेलागंज, गया सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय- प्रखंड कार्यालय, पटना सदर) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक-2293 दिनांक 20.11.2016 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र; उप विकास आयुक्त, गया के पत्रांक-3300 दिनांक 17.11.2018 के द्वारा प्राप्त आरोप पत्र एवं जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-2048 दिनांक 22.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में संकल्प संख्या 447509 दिनांक 19.11.2019 द्वारा उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में उनके द्वारा अपना लिखित अभिकथन संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिनांक 12.12.2019 को ही समर्पित कर दिया गया है। लंबी अवधि से निलंबित रहने के फलस्वरूप उन्हें निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः श्री बबलु कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोषी, जहानाबाद एवं बेलागंज, गया सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय प्रखंड कार्यालय, पटना सदर) को निलंबन मुक्त किया जाता है तथा उन्हें विभाग में योगदान करने का आदेश दिया जाता है।

विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने के उपरांत निलंबन अवधि के वेतन एवं दंड के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल रंजन महिवाल, विशेष सचिव।

2 जून 2020

सं० ग्रा०वि०-14 (मु०) शेख०-01/2019-462875--श्री पंकज कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरबीघा, शेखपुरा सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाँसी, बाँका के विरुद्ध अनिश्चित समय तक अवकाश में चले जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक 36 दिनांक 16.01.2019 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आरोप-पत्र पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

उक्त संदर्भ में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि अवकाश के पूर्व श्री कुमार ने अपना झोंगल जिला मुख्यालय में सक्षम प्राधिकार को नहीं दिया जिसके लिए वे दोषी हैं।

अतएव श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत 'चेतावनी' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के सेवा पुस्त में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल रंजन महिवाल, विशेष सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

3 जनवरी 2020

सं० 1/पी-1001/2016(खण्ड)-सा०प्र०-88--श्री चैतन्य प्रसाद, भा०प्र०से०(1990), प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना) के दिनांक 28.12.2019 से 12.01.2020 तक की अवकाश अवधि के लिए संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ०-1005/2015-सा०प्र०-16730 दिनांक 09.12.2019 द्वारा डॉ० दीपक प्रसाद, भा०प्र०से०(1989), प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को प्रदत्त था। तदन्तर, डॉ० दीपक प्रसाद, भा०प्र०से०(1989) के अवकाश पर चले

जाने के फलस्वरूप, विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1001/2016(खण्ड)-सा0प्र0-17707 दिनांक 30.12.2019 द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार, श्री आमिर सुबहानी, भा0प्र0से0(87), अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना) को दिया गया है।

2. श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0(1990) के दिनांक 12.01.2020 तक की अवकाश अवधि के लिए श्री आमिर सुबहानी, भा0प्र0से0(1987), अपर मुख्य सचिव के रूप में संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

13 जनवरी 2020

सं0 1/अ0-1017/2017-सा0प्र0-496—श्री यशपाल मीणा, भा0प्र0से0(2014), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, किशनगंज को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक 10.01.2020 से 24.01.2020 तक कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

13 जनवरी 2020

सं0 1/सी0-1020/2015-सा0प्र0-559—डॉ0 बी0 राजेन्द्र, भा0प्र0से0 (बी एच : 1995), मंत्री (कृषि), रोम, इटली स्थित भारतीय दूतावास में, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को भा0प्र0से0(वेतन) नियमवाली, 2016 के नियम-8 (5) के तहत दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान-स्तर-15-रु0 1,82,200 -2,24,100/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

20 जनवरी 2020

सं0 1/अ0-422/2007-सा0प्र0-1047—श्री बालामुरुगन डी0, भा0प्र0से0(2005), परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना, पटना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन-सह-आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक 20.01.2020 से 03.02.2020 तक कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री बालामुरुगन डी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके दायित्वों के निष्पादन हेतु ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा आंतरिक व्यवस्था से की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

27 जनवरी 2020

सं0 1/सी0-1021/2015(खण्ड)-सा0प्र0-1402—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर) वेतनमान (अपुनरीक्षित-रु0 37,400-67,000/- + ग्रेड पे-87,00/-) (पुनरीक्षित वेतन स्तर-13-रु0 1,23,100-2,15,900/-) में उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन/प्रभार	विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान किये जाने की तिथि
1.	श्री प्रदीप कुमार(2006)	अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से।
2	श्री अभय राज(2006)	अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से।
3	श्री मिथिलेश कुमार(2006)	निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से।
4	श्री बिबेकानन्द झा(2006)	मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना।	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से।

5	श्री अरशद अजीज(2006)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज (अतिरिक्त प्रभार— बंदोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज)	दिनांक 01.02.2020 के प्रभाव से ।
6	श्री शोभेन्द्र कुमार चौधरी(2006)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय(अतिरिक्त प्रभार— बंदोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय)	दिनांक 01.02.2020 के प्रभाव से ।
7	श्री हरेन्द्र नाथ दूबे(2006)	अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना ।	दिनांक 01.02.2020 के प्रभाव से ।
8	श्री ईश्वर चन्द्र सिन्हा (2006)	अपर सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, पटना)	दिनांक 01.02.2020 के प्रभाव से ।

2. क्रमांक 3, 4, 5 एवं 6 को छोड़ कर शेष सभी पदाधिकारी विशेष सचिव के रूप में पदनामित होंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

27 जनवरी 2020

सं० 1/सी०-1002/2019-सा० प्र०-1403—श्री श्याम बिहारी मीणा, भा०प्र०से० (2014), उप सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय कालमान (संयुक्त सचिव स्तर) (अपुनरीक्षित वेतनमान—रु० 15,600—39,100/—+ग्रेड पे—6600/—) (पुनरीक्षित वेतनमान—लेवल—11—रु० 7,700—2,08,700/—) में दिनांक 06.09.2019 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

31 जनवरी 2020

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)—सा०प्र०-1633—श्री प्रभाकर, भा०प्र०से०(एस के : 2007) (अंत संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर सिविकम संवर्ग से बिहार संवर्ग में योगदान देने के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. श्री प्रभाकर अगले आदेश तक अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे ।

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)—सा०प्र०-1634—श्री विजय कुमार, भा०प्र०से०(2007) (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)—सा०प्र०-1635—श्री कंवल तनुज, भा०प्र०से०(2010), अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)—सा०प्र०-1636—श्री हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०(2010), अपर सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

4 फरवरी 2020

सं० 1/अ०-1002/2016-सा०प्र०-1731—श्री आनंद शर्मा, भा०प्र०से० (2013), संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम—10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक—24.01.2020 से 07.02.2020 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

4 फरवरी 2020

सं० 1/सी०-03/2012(खण्ड)—सा०प्र०-1774—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान—लेवल—12—रु.78,800—2,09,200/—) में प्रोन्नति दी जाती है:—

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री आलोक रंजन घोष(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से

2	श्री महेन्द्र कुमार(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, सुपौल (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्त पदाधिकारी, सुपौल)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
3	श्री हिमांशु शर्मा(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
4	श्री त्यागराजन एस0एम0(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
5	श्री शीर्षत कपिल अशोक(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्त पदाधिकारी, मधुबनी)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
6	श्री राहुल कुमार(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्त पदाधिकारी, पूर्णिया)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
7	श्री मिथिलेश मिश्र (2011)	कारा महानिरीक्षक, गृह विभाग, बिहार, पटना	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
8	श्री पंकज दीक्षित(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम(अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्त पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
9	श्री देओर नीलेश रामचन्द्र(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया (अतिरिक्त प्रभार— बंदोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
10	श्री नवीन कुमार(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
11	श्री उदयन मिश्रा(2011)	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से
12	श्री रवि शंकर चौधरी(2011)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अरवल (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्त पदाधिकारी, अरवल)	दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से

2. श्री आलोक रंजन घोष, श्री महेन्द्र कुमार, श्री हिमांशु शर्मा, श्री त्यागराजन एस0एम0, श्री शीर्षत कपिल अशोक, श्री राहुल कुमार, श्री पंकज दीक्षित एवं श्री देओर नीलेश रामचन्द्र को उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से इस शर्त के साथ अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है कि आगामी सत्रा में स्थान और अनुमति मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण(अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण—प्प, जो अपर सचिव सचिव स्तर की प्रोन्नति की पात्रता की नियत शर्तों में से एक है) को अवश्य पूरा कर लेंगे।

3. क्रमांक—1 की तालिका के पदाधिकारी—श्री उदयन मिश्रा को अपर सचिव के रूप में पदनामित भी किया जाता है।
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

6 फरवरी 2020

सं० 1/पी—1001/2020(खण्ड)—सा0प्र0—1907—श्री तनय सुल्तानिया, भा0प्र0से0(2017) अनुमण्डल पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना के पद पर इस शर्त के पदस्थापित किया जाता है कि राज्य में सम्प्रति संचालित निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य से संबंधित अंतिम निर्वाचक सूची के प्रकाशन की तिथि के बाद ही वह वर्तमान पदस्थापन से विरमित होंगे।

2. संबंधित पदाधिकारी को आलोच्य नवपदस्थापन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट—2, 1974) की धारा—20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट—2, 1974) के तहत संबंधित जिला के लिए धारा—144 का प्रयोग करने की शक्ति प्रदत्त रहेंगी।

3. उपर्युक्त स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

13 फरवरी 2020

सं० 1/अ0—07/2011—सा0प्र0—2332—श्रीमती रचना पाटिल, भा0प्र0से0 (2010), निबंधक, सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम—10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक— 30.12.2019 से 10.01.2020 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

13 फरवरी 2020

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-2349—श्री श्याम बिहारी मीणा, भा0प्र0से0(2014), संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

14 फरवरी 2020

सं० 1/अ0प्र0-1001/2018-सा0प्र0-2416—लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 17.02.2020 से 13.03.2020 तक प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा धारित निम्नांकित पदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अग्ररूपेण की जाती है:-

क्रम सं.	प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारी एवं पदनाम जिनके लिए प्रभार की संदर्भित व्यवस्था की गयी है	प्रशिक्षण से संबंधित अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ-02 के पदों के प्रभार के संबंध में व्यवस्था
1	2	3
1.	श्री बैद्यनाथ यादव, भा0प्र0से0(2007), जिला पदाधिकारी, अररिया।	जिला के अपर समाहर्ता अथवा उप विकास आयुक्त(जो वरीय हो) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा निर्गत किया जायेगा।
2.	श्री संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2007), प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना।	स्वास्थ्य विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी।
3.	श्री संजय दूबे, भा0प्र0से0 (2008), अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पटना)	ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी।
4.	श्री राजीव रौशन, भा0प्र0से0 (2010), अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-जीविका/मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली मिशन के कार्यों का प्रभार)	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

17 फरवरी 2020

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2494—श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0(बी एच: 2013), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर(अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, बक्सर) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-13017/35/2016-AIS-1 दिनांक 03.10.2019 द्वारा बिहार संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप, समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर का पदभार त्यागने की तिथि से उन्हें बिहार संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

17 फरवरी 2020

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2495—श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा0प्र0से0(92), प्रधान सचिव-सह-खान आयुक्त, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2496—श्रीमती विजयलक्ष्मी एन0, भा0प्र0से0(95), प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2497—श्री एन0 सरवन कुमार, भा0प्र0से0(2000), सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2498—श्री पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0(2002), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2499—श्रीमती पूनम, भा0प्र0से0(आर. जे : 2005), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार (अतिरिक्त प्रभार—बन्दोबस्त पदाधिकारी, कटिहार) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2500—श्री राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0(एम एच : 2005), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद (अतिरिक्त प्रभार—बन्दोबस्त पदाधिकारी, औरंगाबाद) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2501—श्री अनिरुद्ध कुमार, भा0प्र0से0(2005), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया (अतिरिक्त प्रभार—बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2502—श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0(2005), निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, मत्स्य के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह अगले आदेश तक विशेष सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2503—श्री बैद्यनाथ यादव, भा0प्र0से0(2007), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया (अतिरिक्त प्रभार—बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2504—श्री रमण कुमार, भा0प्र0से0(2009), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी (अतिरिक्त प्रभार—बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2505—श्री कंवल तनुज, भा0प्र0से0(2010), अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार—निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें कटिहार जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री तनुज अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, कटिहार के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2506—श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा0प्र0से0(2010), अपर सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें मुजफ्फरपुर जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2507—श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा0प्र0से0(2010), प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री पराशर अगले आदेश तक निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2508—श्री आलोक रंजन घोष, भा0प्र0से0(2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार—बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी खगड़िया के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें खगड़िया जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री घोष अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2509—श्री हिमांशु शर्मा, भा0प्र0से0(2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज (अतिरिक्त प्रभार—बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020-सा0प्र0-2510—श्री शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0(2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी (अतिरिक्त प्रभार—बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधुबनी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अशोक अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

2. श्री समीर अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बक्सर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-2522—श्री प्रशांत कुमार सी०एच०,भा०प्र०से०(2015), उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें अररिया जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री प्रशांत अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

21 फरवरी 2020

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-2739—श्री संजय कुमार अग्रवाल,भा०प्र०से०(2002), सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना/जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग/आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना) अगले आदेश तक प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-2740—डॉ० श्यामल किशोर पाठक,भा०प्र०से०(2005), विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक निदेशक, भू-अर्जन, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-2741—श्री अंशुल अग्रवाल,भा०प्र०से०(2016), उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, भोजपुर, आरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त, नालन्दा, बिहार शरीफ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-2742—श्री रिची पाण्डेय, भा०प्र०से०(2016), उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बेगूसराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

24 फरवरी 2020

सं० 1/पी०-2005/2019-सा०प्र०-2759—कार्मिक विभाग, सिविकम सरकार के कार्यालय आदेश दिनांक 12.02.2020 द्वारा अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार संवर्ग में सेवारत सिविकम संवर्ग के भा०प्र०से० पदाधिकारी—श्री प्रभाकर (एस के:2007), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना(अतिरिक्त प्रभार—अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना) को उक्त संवर्ग के अन्य भा०प्र०से० पदाधिकारी के साथ विशेष सचिव ग्रेड (वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) में दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप, श्री प्रभाकर द्वारा धारित गैर—संवर्गीय पद को भा०प्र०से०(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 (1) के तहत विशेष सचिव के समकक्ष घोषित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

24 फरवरी 2020

सं० 1/अ०-1015/2018-सा०प्र०-2818—श्री योगेश कुमार सागर, भा०प्र०से० (2017), अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक-13.01.2020 से 27.01.2020 तक कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

25 फरवरी 2020

सं० 1/ अ०-14/2012(खण्ड)—सा०प्र०-2878—श्री अतुल प्रसाद, भा०प्र०से०(87), अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की विदेश यात्रा हेतु दिनांक-05-07 जून, 2020 के राजपत्रात/सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग छुट्टी के अंत में करने की अनुमति के साथ दिनांक 19.05.2020 से 04.06.2020 तक कुल 17 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रूप में प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

26 फरवरी 2020

सं० 1/सी०-1024/2014-सा०प्र०-2919—श्रीमती पलका साहनी, भा०प्र०से०(बी एच : 2004), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(6) के तहत दिनांक 01.01.2020 के

प्रभाव से अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-वेतनमान लेवल-14-रु.1,44,200- 2,18,200/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं० 1/सी०-1024/2014-सा०प्र०-2920—श्री आर० लक्ष्मणन, भा०प्र०से०(बी एच : 2004), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(6) के तहत दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-वेतनमान लेवल-14-रु.1,44,200- 2,18,200/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं० 1/सी०-1024/2014-सा०प्र०-2921—श्री कुन्दन कुमार, भा०प्र०से०(बी एच : 2004), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(6) के तहत दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-वेतनमान लेवल-14-रु.1,44,200- 2,18,200/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं० 1/सी०-1024/2014-सा०प्र०-2922—श्री अभय कुमार सिंह, भा०प्र०से०(बी एच : 2004), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(6) के तहत दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-वेतनमान लेवल-14-रु.1,44,200- 2,18,200/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती पलका साहनी, श्री कुन्दन कुमार एवं श्री अभय कुमार सिंह को इस शर्त के साथ सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है कि आगामी सत्र में स्थान मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण (अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-IV, जो सचिव स्तर की प्रोन्नति की पात्रता की नियत शर्तों में से एक है) को अवश्य पूरा कर लेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

2 मार्च 2020

सं० 1/अ०-07/2011-सा०प्र०-3192—श्रीमती रचना पाटिल, भा०प्र०से० (2010), निबंधक, सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या-2332 दिनांक -13.02.2020 द्वारा दिनांक 30.12.2019 से 10.01.2020 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. श्रीमती पाटिल से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-2332 दिनांक-13.02.2020 द्वारा दिनांक-30.12.2019 से 10.01.2020 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक-11.01.2020 से 17.01.2020 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

3 मार्च 2020

सं० 1/ एल०-014/2000-सा०प्र०-3331—श्री प्रत्यय अमृत, भा०प्र०से०(91), प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना [अतिरिक्त प्रभार- अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर(होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना] को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश यात्रा हेतु दिनांक-09-10 मई, 2020 के सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग छुट्टी के प्रारंभ में करने की अनुमति के साथ दिनांक-11.05.2020 से 21.05.2020 तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रूप में प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

14 मार्च 2020

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-3740—श्रीमती बन्दना प्रेयषी, भा०प्र०से०(2003) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से संवर्ग में वापसी के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-3741—श्री लोकेश कुमार सिंह, भा०प्र०से०(2003), सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना / जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-3742/श्रीमती पलका साहनी, भा०प्र०से० (2004) (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से संवर्ग में वापसी के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक विशेष स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

16 मार्च 2020

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-3826—श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा०प्र०से०(89), अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री मेहरोत्रा अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-3827—श्री चैतन्य प्रसाद, भा०प्र०से०(90), प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार— प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

18 मार्च 2020

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-3961—विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी०-1001/2020 -सा०प्र० -3827 दिनांक 16.03.2020 द्वारा श्री चैतन्य प्रसाद, भा०प्र०से०(90), प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रधान संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है, परन्तु, उक्त अधिसूचना में उनका पदनाम, प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना अंकित हो गया है।

2. अतएव, विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी०-1001/2020-सा०प्र०-3827 दिनांक 16.03.2020 में श्री चैतन्य प्रसाद के आलोच्य पदस्थापन से संबंधित पदनाम, 'प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना' को 'राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना' पढ़ा जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

18 मार्च 2020

सं० 1/पी०-1005/2013 -सा०प्र०- 3970—श्री रविन्द्र प्रसाद, आई० टी० एस० (96) (राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी), निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की सेवा उनके पैतृक विभाग—दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रभार त्याग करने की तिथि से वापस की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

19 मार्च 2020

सं० 1/अ०-1005/2019-सा०प्र०-4018—श्री श्रीकान्त शास्त्री, भा०प्र०से०(2012), नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक-13.03.2020 से 25.03.2020 तक कुल 13 दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री श्रीकान्त शास्त्री की उपार्जित अवकाश की उपर्युक्त अवधि में श्री श्यामनन्दन प्रसाद, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर के भी प्रभार में रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

23 मार्च 2020

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-4143—श्री बालामुरुगन डी०, भा०प्र०से०(2005), परियोजना निदेशक, बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना, पटना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन—सह—आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-4144—श्री अनिरुद्ध कुमार, भा०प्र०से०(2005), विशेष सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

22 अप्रैल 2020

सं० 1/पी-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-4304—श्री केशवेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0(के एल :2008), अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना आदेश तक अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1001/2020(खण्ड)-सा0प्र0-4197 दिनांक 14.04.2020, जिसके द्वारा श्री आनन्द शर्मा, भा0प्र0से0 (2013) को अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

22 अप्रैल 2020

सं० 1/पी-1004/2018-सा0प्र0-4316—विभागीय कार्यवाहियों से संबंधित मामलों के संचालन हेतु वर्तमान में निम्नांकित भा0प्र0से0 पदाधिकारी जॉच आयुक्त के रूप में नामित हैं:-

- (i) श्री सुधीर कुमार (बी एच : 1988)
- (ii) श्री विवेक कुमार सिंह (बी एच : 1989)
- (iii) श्री उदय सिंह कुमावत (बी एच : 1993)
- (iv) श्री संजीव हंस (बी एच : 1997)
- (v) राजेश कुमार (बी एच : 2000)
- (vi) श्री संजय कुमार अग्रवाल(बी एच : 2002)
- (vii) श्री लोकेश कुमार सिंह (बी एच : 2003)

2. जॉच आयुक्तों के रूप में नामित उपर्युक्त पदाधिकारियों में से श्री विवेक कुमार सिंह और श्री उदय सिंह कुमावत ट्रेप संबंधी मामलों की जॉच के लिए अधिकृत हैं। ट्रेप मामलों की संख्या अधिक होने के कारण उनसे संबंधित जॉच आयुक्त का जॉच संबंधी दायित्वभार काफी बढ़ गया है। फलस्वरूप, ट्रेप मामलों (ट्रेप केसेज) और गैर-ट्रेप मामलों (नॉन-ट्रेप केसेज) को सभी जॉच आयुक्तों के बीच समरूपता में वितरित कर उनके आलोच्य दायित्वों को संतुलित किये जाने की आवश्यकता है।

3. संगत नियमावली के अनुसार ट्रेप मामलों (ट्रेप केसेज) की जॉच के लिए अलग से अधिकृत जॉच आयुक्तों के रहने की बाध्यता नहीं है। कोई भी जॉच आयुक्त ट्रेप मामलों (ट्रेप केसेज) या गैर-ट्रेप मामलों (नॉन ट्रेप केसेज) की विभागीय जॉच करने हेतु सामान्य रूप से सक्षम हैं।

4. अतएव, सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि मुख्य जॉच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा सभी जॉच आयुक्तों के बीच सम्प्रति वितरित मामलों को ट्रेप मामलों (ट्रेप केसेज) और गैर-ट्रेप मामलों (नॉन ट्रेप केसेज) के रूप में संतुलित ढंग से पुनर्वितरित किये जा सकेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

11 मई 2020

सं० 1/पी0-1005/2013-सा0प्र0-4598—श्री संजय कुमार, आई0आर0पी0एस0 (1997) (राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत केन्द्रीय सिविल सेवा के पदाधिकारी), तदेन विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग-रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को वापस की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

12 मई 2020

सं० 1/सी0-1006/2019-सा0प्र0-4633—लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण (फेज-I) के व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के उपरान्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) के वर्ष,2019 बैच के परीक्ष्यमान पदाधिकारियों को जिला प्रशिक्षण हेतु सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी के रूप में निम्नवत् पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन से संबंधित जिला
1	श्री समीर सौरभ	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)
2	श्री कुमार अनुराग	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)
3	श्री सुमित कुमार	नालन्दा
4	श्री सौरभ सुमन यादव	गया

5	सुश्री प्रीति	मधुबनी
6	सुश्री खुशबू गुप्ता	मुजफ्फरपुर
7	श्री नवीन कुमार	रोहतास (सासाराम)
8	श्री यतेन्द्र कुमार पाल	पटना
9	श्री विक्रम विरकर	समस्तीपुर
10	सुश्री प्रियंका रानी	दरभंगा
11	श्री दीपक कुमार मिश्रा	सुपौल
12	श्री स्पर्श गुप्ता	बेगूसराय

2. साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उपर्युक्त पदाधिकारियों को संबंधित जिलों के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 के अंतर्गत शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

13 मई 2020

सं० 1/एल०-014/2000-सा०प्र०-4688—विभागीय अधिसूचना संख्या-1/एल०- 014/2000 -सा०प्र०-3331 दिनांक 03.03.2020 द्वारा श्री प्रत्यय अमृत, भा०प्र०से० (91), प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना & अतिरिक्त प्रभार-अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को निजी खर्च पर निजी कार्य के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश यात्रा हेतु दिनांक 09-10 मई, 2020 के सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग छुट्टी के प्रारंभ में करने की अनुमति के साथ दिनांक 11.05.2020 से 21.05.2020 तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रूप में प्रदान की गयी थी।

2. श्री प्रत्यय अमृत से प्राप्त अनुरोध (वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निरस्त करने का अनुरोध) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3331 दिनांक 03.03.2020 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति निरस्त की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

20 मई 2020

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-4781—श्री संजय कुमार, भा०प्र०से०(1990), प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-राज्य परामर्शदातृ समिति के सदस्य सचिव) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. साथ ही, श्री संजय कुमार राज्य परामर्शदातृ समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

सं० 1/पी-1001/2020-सा०प्र०-4782—श्री उदय सिंह कुमावत, भा०प्र०से०(1993), प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर सदस्य, राजस्व पर्षद/जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. साथ ही, श्री कुमावत महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे और जॉच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना तथा अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, पटना के अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त हो जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

26 मई 2020

सं० 1/सी०-1021/2015(खण्ड)-सा०प्र०-4921—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर) वेतनमान (अपुनरीक्षित-रु० 37,400-67,000/- + ग्रेड पे- 87,00/-) (पुनरीक्षित वेतन स्तर-13-रु० 1,23,100-2,15,900/-) में उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन/प्रभार	विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान किये जाने की तिथि
1.	श्री सुरेन्द्र झा(2006)	सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना	दिनांक-01.02.2020 के प्रभाव से ।
2	श्री गोरखनाथ(2006)	अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना	दिनांक-01.02.2020 के प्रभाव से ।
3	श्री गोपाल मीणा(2007)	अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	दिनांक- 01.02.2020 के प्रभाव से ।

4	श्री जय सिंह(2007)	निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना	दिनांक— 01.02.2020 के प्रभाव से ।
5	श्री मनोज कुमार(2007)	अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार— कार्यपालक निदेशक, बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना)	दिनांक— 01.02.2020 के प्रभाव से ।
6	श्री संजय कुमार सिंह(2007)	राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना (अतिरिक्त प्रभार—विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना)	दिनांक— 01.02.2020 के प्रभाव से ।
7	श्री विनोद सिंह गुंजियाल(2007)	निदेशक, पशुपालन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना	दिनांक— 01.02.2020 के प्रभाव से ।
8	श्री दिनेश कुमार(2007)	निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना	दिनांक— 01.02.2020 के प्रभाव से ।
9	श्रीमती मधुरानी ठाकुर(2007)	अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना	दिनांक—01.02.2020 के प्रभाव से ।
10	श्री विजय कुमार(2007)	अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना	दिनांक—01.02.2020 के प्रभाव से ।
11	श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह (2007)	निवर्तमान प्रशासक, बिहार, राज्य पथ परिवहन निगम, पटना	दिनांक—01.02.2020 के प्रभाव से ।
12	श्री अरुण कुमार मिश्रा(2007)	अपर सचिव, वाणिज्यकर विभाग, बिहार, पटना	दिनांक—01.02.2020 के प्रभाव से ।
13	श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह (2007)	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार —अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना)	दिनांक—01.02.2020 के प्रभाव से ।
14	श्री उदय कुमार सिंह(2007)	अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार— ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना)	दिनांक—01.02.2020 के प्रभाव से ।
15	श्री बैद्यनाथ यादव(2007)	अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	दिनांक—01.02.2020 के प्रभाव से ।
16	श्री संजय कुमार सिंह (2007)	प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना	दिनांक—01.02.2020 के प्रभाव से ।

2. क्रमांक 1,4, 6, 7, 8 , 11, 13 एवं 16 को छोड़ कर शेष सभी पदाधिकारी संबंधित विभागों में विशेष सचिव के रूप में पदनामित होंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

26 मई 2020

सं० 1/सी०-1021/2015(खण्ड)—सा०प्र०-4922—श्री मो० सोहैल, भा०प्र०से० (बी एच : 2007), निदेशक, जनगणना कार्य/निदेशक, नागरिक निबंधन, बिहार, भारत सरकार को भा०प्र०से०(वेतन) नियमावाली, 2016 के नियम-8 (5) के तहत दिनांक 01.02.2020 के प्रभाव से चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर) वेतनमान (अपुनरीक्षित—रु० 37,400—67,000/—)+ग्रेड पे—87,00/— (पुनरीक्षित —स्तर—13 — रु० 1,23,100 —2,15,900/—) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव ।

30 मई 2020

सं० 1/सी०-1011/2018-सा०प्र०-5026—श्री अमृत लाल मीणा, भा०प्र०से० (बी एच : 89), प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना) को शीर्ष वेतनमान (स्तर-17—रु० 2,25,000/—नियत) में प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त आलोक में श्री अमृत लाल मीणा द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अपर मुख्य सचिव के रूप में पदनामित किया जाता है।

सं० 1/सी०-1011/2018-सा०प्र०-5027—डॉ० दीपक प्रसाद, भा०प्र०से० (बी एच : 89), प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को शीर्ष वेतनमान (स्तर-17—रु० 2,25,000/—नियत) में प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त आलोक में डॉ० दीपक प्रसाद द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए अपर मुख्य सचिव के रूप में पदनामित किया जाता है।

सं० 1/सी०-1011/2018-सा०प्र०-5028—श्रीमती वन्दना किनी, भा०प्र०से० (बी एच : 89), आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर (अतिरिक्त प्रभार—आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर) को शीर्ष वेतनमान (स्तर-17—रु० 2,25,000/—नियत) में प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त आलोक में श्रीमती वन्दना किनी द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

1 जून 2020

सं० 1/अ०-14/2012(खंड)—सा०प्र०-5082—विभागीय अधिसूचना संख्या— 1/अ०-14/2012 (खंड)—सा०प्र०-2878 दिनांक 25.02.2020 द्वारा श्री अतुल प्रसाद, भा०प्र०से०(87), अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को निजी खर्च पर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की विदेश यात्रा हेतु दिनांक 05-07 जून, 2020 के राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाशों का उपभोग छुट्टी के अंत में करने की अनुमति के साथ दिनांक 19.05.2020 से 04.06.2020 तक कुल 17 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रूप में प्रदान की गयी थी।

2. श्री अतुल प्रसाद से कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निरस्त करने हेतु प्राप्त अद्यतन अनुरोध के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-2878 दिनांक 25.02.2020 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति निरस्त की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

1 जून 2020

सं० 1/अ०-26/2008-सा०प्र०-5086—श्री दयानिधान पाण्डेय, भा०प्र०से०(2006), विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 11.05.2020 से 15.05.2020 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

1 जून 2020

सं० 1/अ०-1005/2019-सा०प्र०-5087—श्री श्रीकान्त शास्त्री, भा०प्र०से०(2012), नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना संख्या— 4018 दिनांक 19.03.2020 द्वारा दिनांक 13.03.2020 से 25.03.2020 तक कुल 13 (तेरह) दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. श्री शास्त्री से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या— 4018 दिनांक 19.03.2020 द्वारा दिनांक 13.03.2020 से 25.03.2020 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 13.03.2020 से 22.03.2020 तक के लिए पुनरीक्षित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

**कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)**

अधिसूचनाएं

24 अप्रैल 2020

सं० कारा/स्था०(अधी०)—०१-१६/१८-२७००—बिहार लोक सेवा आयोग की ५६वीं-५९वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर काराधीक्षक के पद पर अनुशंसित तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-९११० दिनांक २६.१२.२०१८ द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को परीक्ष्यमान काराधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था :-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अनुक्रमांक
1.	श्री सिद्धार्थ हर्षवर्द्धन	188238
2.	श्री पप्पु कुमार	363429

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-९११० दिनांक २६.१२.२०१८ द्वारा उपर्युक्त दोनों अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति परीक्ष्यमान काराधीक्षक के पद पर की गई थी एवं १५ दिनों के अन्दर कारा निरीक्षणालय में योगदान करने का निदेश दिया गया था, लेकिन उक्त दोनों अभ्यर्थियों द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया गया।

3. पुनः विभागीय पत्रांक ५६३ एवं ५६४ दिनांक २१.०१.२०२० द्वारा उक्त दोनों अभ्यर्थियों को दिनांक १५.०२.२०२० तक अधिसूचित पद पर योगदान करने का अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद दोनों अभ्यर्थियों द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया गया।

4. अतः विभागीय अधिसूचना संख्या-९११० दिनांक २६.१२.२०१८ के माध्यम से परीक्ष्यमान काराधीक्षक के पद पर नियुक्त श्री सिद्धार्थ हर्षवर्द्धन तथा श्री पप्पु कुमार को योगदान करने हेतु एक वर्ष से अधिक का समय प्रदान करने के बावजूद उनके द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं करने के कारण उनकी नियुक्ति रद्द की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

29 मई 2020

सं० कारा/स्था०(अधी०) ०१-१५/२०१५-३३०५—श्री प्रेम कुमार, अधीक्षक, उपकारा, बेनीपट्टी की दिनांक ३१.०५.२०२० को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली रिक्ति के विरुद्ध श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय, परीक्ष्यमान काराधीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना, गृह जिला-रोहतास को अधीक्षक, उपकारा, बेनीपट्टी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश दिनांक ३१.०५.२०२० के अपराह्न से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

11 जून 2020

सं० ६/अनु०-२७-०१/२०१८-१०१५—बिहार वित्त सेवा संवर्ग के श्री निरंजन कुमार सिन्हा (३७वीं बैच), राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक ११९२ दिनांक ०३.०५.२०१८ के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु समर्पित

अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम-74 (ख) (i) के तहत इन्हें अधिसूचना निर्गमन की तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं0 775—मैं Shabnam Parveen पत्नी स्व0 रजी अहमद कुरैशी निवास—मदरसा गली, कुम्हार टोली पो0—कंकड़बाग पटना—20 शपथ पत्र सं0 667 तारीख 19.02.2020 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि सभी कार्य के लिए अब मैं Savnam Pravin के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

Shabnam Parveen.

अधिसूचना

23 अप्रैल 2020

सं0 762—पत्रांक 07/20—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग NATIONAL PUBLIC SERVICE COMMISSION (NPSC) प्रधान कार्यालय—स्वामी विवेकानंद पथ, स्मार्टसिटी भागलपुर—812001, बिहार (भारत) जिसकी वैधानिक ई—मेल thenpsc@gmail.com है। जो भारत सरकार के भारतीय न्यास अधिनियम 1882 अंतर्गत स्वीकृत वैधानिक अर्द्धन्यायिक स्वतंत्र सांविधिक शासी निकाय (Governing body) है।

बिहार सरकार, जिला निबंधन विभाग, भागलपुर द्वारा तिथि 01 सितम्बर 2018 दिन शनिवार को प्रस्वीकृत किया गया, जिसका प्रस्वीकृति संख्या—53 है। उक्त गवर्निंग बॉडी का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद—19,21,22,28,30 व आयोग जांच अधिनियम—1952 अंतर्गत एक सांविधिक सार्वजनिक स्वायत्तशासी अर्द्धन्यायिक स्वतंत्र गवर्निंग बॉडी के रूप में हुआ है। यथा American Board of Accreditation Services प्रदत्त ISO 9001:2015 प्रमाणित है। व समाहरणालय भागलपुर (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) के पत्रांक—NIC/BGP/231/2019 द्वारा गर्वमेंट बेबसाईट www.bhagalpur.nic.in पर सार्वजनिक उपयोगिता श्रेणी में सूचिबद्ध है।

उक्त गवर्निंग बॉडी का संपूर्ण लेखा व वित्तीय संचालन भारत सरकार का उपक्रम यूको बैंक, आदमपुर शाखा, भागलपुर, IFSC: UCBA0003257, अकाउंट संख्या—32570110025192, तथा पंजाब नैशनल बैंक, बाजार शाखा, भागलपुर, IFSC: PUNB0196600, अकाउंट संख्या—1966002100032219, National Public Service Commission तहत प्रख्यापित है। एवं जिलापदाधिकारी—सह—अध्यक्ष (IRCS) द्वारा निबंधित संख्या—01, तिथि 24 नवम्बर 2018 एवं नवीनीकरण ज्ञापांक—53, तिथि—30.05.2019 प्रदान कर एगुम्ड किया गया है।— Under Section 10(22)A Of Income Tax Act 1961 Donation made to IRCS Qualify for 100% Deduction Under Section 80G (2)(A)(VII) of IT Act 1961 अधीन मान्य होगा। वहीं बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने भी PT श्रेणी में TIN-10AADTR5660G प्रदान की है। यथा अधिनियमानुसार न्यास को प्रदत्त/देय सभी स्त्रोतों से सभी प्रकार के दान, अनुदान 100% पूर्णतः करमुक्त होंगे।

भारत सरकार के क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) द्वारा सदस्यता प्राप्त एवं नीति आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड मार्क अभिहित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC), भारत सरकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC), राष्ट्रीय महिला आयोग (NWC), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एण्ड पेट्रोकेमिकल्स, भारत सरकार, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र प्रदान की है। साथ ही www.mygov.in द्वारा प्रधानमंत्री भारत सरकार की 'मन की बात' प्रतिभागिता प्रमाण पत्र साथ ही पद्म अवार्ड—2019 भी प्रदत्त है।

उक्त गवर्निंग बॉडी द्वारा अपने संविधान अनुसार समस्त कार्य किए जायेंगे। जिनके संशोधन का सर्वप्रतिलिप्यधिकार व सम्पूर्ण दान, अनुदान वित्तीय उपयोग, उपभोग 100% सर्वएकाधिकार न्यास के मुख्य न्यासी—सह—संस्थापक—सह—अध्यक्ष डॉ० अमित कुमार को ही आजीवन स्वतंत्र व मृत्युपश्चात् स्वतः कार्यकारी अध्यक्ष डॉ० पुजा कुमारी राम समतुल्य समकक्ष पदधारी होंगे। न्यास का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा। न्यास सभी राज्य सरकार व प्रशासन के अधीन नहीं होगी। न्यास में अपने संविधान के नियम ही लागू होंगे। सरकार या अन्य कोई भी सरकारी उच्चाधिकारी, प्राधिकार, न्यायाधिकरण, न्यायालय आदि न्यास के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

उक्त गवर्निंग बॉडी लोकहित एवं राष्ट्रहित को मदते नजर रखते हुए सभी धर्मों, वर्गों के मानव को क्षमतानुसार सहायता करेगा व स्वतंत्र रूप से देश की एकता, शांति समन्वय व सदभावना हेतु कार्य करेगा साथ ही शिक्षा एवं प्रशिक्षण के

उपरांत सेकेण्डरी, हायरसेकेण्डरी, उच्च, उच्चतर, शिक्षक प्रशिक्षण व अन्य आवश्यक सभी व्यवसायिक, शैक्षणिक तकनीकी प्रशिक्षण डिग्री, डिपलोमा इत्यादि सर्टिफिकेट्स देय होंगे जिनकी समकक्षता देश-विदेश की अन्य उपाधि व निकायों के समकक्ष सभी अग्रिम शिक्षा में प्रवेश एवं गर्वमेंट या अर्द्धसरकारी नौकरियों इत्यादी में सेवा में मान्य होगी। साथ ही राष्ट्रहित में राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं आदि को समन्वयन कर संचालित करेगी। विधिक सेवा व सहायता, प्रतियोगिता परीक्षा व मुल्यांकन व विक्षण, निरीक्षण इत्यादि कार्य व शिक्षा मित्र, गृहशिक्षक, विधि स्वयंसेवक, कार्यपालक सहायक, बाल/किशोर कल्याण न्याय समिति, न्याय मित्र, स्वास्थ्य मित्र, मीडिया मित्र, स्वीप मित्र, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि व समय समय पर जो पद व कार्य आवश्यक हो अवैतनिक, वैतनिक, नियमित, अनियमित एवं आवश्यक सेवा अधिनियम अन्तर्गत नियुक्ति या नियोजन तथा न्यास सदस्यता व आवश्यक पद ग्रहण देगी जिसकी समस्त वैधानिक जिम्मेवारी नियोक्ता पदाधिकारी न्यास के मुख्य न्यासी-सह-संस्थापक-सह-अध्यक्ष तथा कार्यकारी अध्यक्ष की सर्वसम्मति से होगी/करेगी व लोकसहायतार्थ कार्य करेगी। सभी सामाजिक कार्य लोकहित कार्यक्रम क्रमशः आपदा, यातायात, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, विधिक सहायता अवेयरनेस, लोक अदालत, उपभोक्ताहित, मानवाधिकार, सूचनाधिकार, आर0टी0ई0, महिलाधिकार, मताधिकार, बालश्रम उन्मूलन, किशोर न्याय, व्हीसिल ब्लोअर, मिडिया विकास संवर्धन कार्य, राजकीय प्रेस क्लब सहायतार्थ संचालन व उत्थान कार्य, साक्षरता, हिन्दी साहित्य व भाषा विकास, राष्ट्रीय निबंध लेखन व राष्ट्रीय खेल स्पर्धा प्रतियोगिता उत्थान, संरक्षण, सुधार कार्यक्रम व अन्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय अवार्ड कार्यक्रम इत्यादी व समय-समय पर जो आवश्यक हो उक्त संबंधित लोकजनहित कार्य करेगी। NPSC संपोषित ईकाई राष्ट्रीय प्रेस आयोग (NPC), निःशुल्क सूचनाधिकार सहायता हेल्पलाईन, दि वर्ल्डवाइड एजुकेशन सर्विसेज लोकहित व राष्ट्रहित में कार्य करेगी।

FCRA, संदर्भ में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग- II खण्ड-3- उपखण्ड (II) नई दिल्ली 01 जुलाई, 2011 द्वारा जारी व प्रख्यापित है कि केन्द्र सरकार का यह विचार है कि किसी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार अधिनियम द्वारा गठित व स्थापित सभी अधिसूचित निकाय को छूट प्रदान करना जनहित में आवश्यक और समयोचित है। इसलिए केन्द्र सरकार, विदेशी अभिदाय(विनियमन) अधिनियम 2010,(2010 की सं0 42) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से संदर्भित सांविधिक निकायों को, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010,(2010 की सं0 42) के सभी प्रावधानों के लागू होने से छूट प्रदान करती है। (फा0सं0-II/21022/9(I)/2008-FCRA-III).

उक्त न्यास लोकहित में गुप्तदान या अन्य सभी स्रोतों से प्राप्त दान या अनुदान व सहायता के आलोक में विश्व भर में राष्ट्रहित व लोकहित जनसहायतार्थ कार्य करेगी। यथा, एतद् द्वारा न्यास संविधान प्रस्तावनानुसार सर्वसम्मति से समस्त अभिहित वैधानिकता प्रमाणित की जाती है व उक्त गवर्निंग बॉडी के मुख्य न्यासी-सह-संस्थापक-सह-अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित की जाती है।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
Notify

Founder/President (NPSC)
(Doctor of Law & Social work & Education &
Journalism & Human Right & Administration)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 10-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>